

शासकीय पॉलीटेक्निक नारायणपुर (छ.ग.)

कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न
(निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013

यौन उत्पीड़न क्या है ?

यौन उत्पीड़न - कामकाजी महिलाओं के साथ कार्य स्थल पर किसी भी व्यक्ति द्वारा निम्न प्रकार से व्यवहार किया जाता है -

01. शारीरिक स्पर्श तथा काम वासना को जागृत करने वाली चेष्टाएँ
02. यौन - स्वीकृत की मांग अथवा प्रार्थना
03. काम वासना से प्रेरित टीका टिप्पणी
04. किसी कामोत्तेजक कार्य - व्यवहार/सामग्री का प्रदर्शन
05. महिला की इच्छा के विरुद्ध यौन संबंधी कोई भी अन्य शारीरिक मौखिक या आमौखिक आचरण।

आवेदन (रिपोर्ट) कहाँ करें ?

01. पीड़ित होने पर कार्यालय प्राचार्य शासकीय पॉलीटेक्निक नारायणपुर को शिकायत करें।
02. संस्था में गठित 'आंतरिक शिकायत समिति' के समक्ष।
03. स्थानीय शिकायत समिति (जिला महिला एवं बाल विकास विभाग नारायणपुर)।